

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 106 /2024 दिनांक 17.08.2024

श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) को दिनांक 20.08.2024 से 07.09.2024 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 18.08.2024 से 19.08.2024 एवं 08.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती व्यास की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/03/2015/ 6573

दिनांक : 17.08.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 3417 दिनांक 18.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती स्वाति व्यास (RJ00833), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-15, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-19, मुख्यालय-चाकसू (जयपुर महानगर-प्रथम)।


16/8/2024
सहायक रजिस्ट्रार